दिनांक: 24 दिसम्बर, 2010

<u>विषय – बैक – टू – बैक व्यापारिक सौदों में व्यापार से संबंधित मार्गनिर्देशों में संशोधन</u>

तत्काल प्रभाव से एमएसडी के परिपत्र दिनांक 10 मई, 2010 द्वारा परिचारित बैक – टू – बैक व्यापारिक सौदों में व्यापार से संबंधित मार्गनिर्देशों में संशोधन किया जाता है –

- निम्नलिखित रूप में एक नया खंड 2.8 शामिल किया जाता है-

2.8 व्यवसाय करने के लिए एक एसोसिएट्स का चयन करने के लिए संबंधित प्रबंधकों को समाहित करते हुए एक टीम को जो व्यापार और वित्त प्रभागों से संबंधित हो, पार्टी के संयंत्र का निरीक्षण करना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ उनकी वित्तीय स्थिति और विगत कार्यनिष्पादन, विनिर्माण साइकिल, अपेक्षित कच्ची सामग्री, उपभोक्ता पद्धति आदि का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए ।

टीम की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से सभी व्यापारिक प्रस्तावों के साथ संलग्न की जानी चाहिए ।

- खंड संख्या 2.2.1 से 2.2.7 को 3.2.1 से 3.2.7 के रूप में संख्या दी जाती है । खंड 3.2.5 में फोर्टनाइट शब्द के स्थान पर 45 दिन रखा जाता है ।
- खंड 3.3 के अंतिम पैरे में शब्द सेवा प्रभार के स्थान पर व्यापार मार्जिन रखा जाता है ।
- एक नया खंड 3.7 निम्नलिखित रूप में शामिल किया जाता है –

3.7 एसटीसी द्वारा एसोसिएट्स के साथ हस्ताक्षरित सभी संविदाओं/एमओए/समझौता ज्ञापनों में एलसी के रोलओवर/ एक्सटेंशन के बारे में कोई छूट नहीं होनी चाहिए ।

- खंड 5.4 के प्रथम वाक्य में शब्द व्यापार प्रभाग के स्थान पर वित्तीय प्रभाग रखा जाता है ।
- खंड 5.4 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

तथापि, कोई भी अन्य आवश्यक कार्रवाई जैसे गारंटी रद्द करना या भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करना और मानिटरिंग संबंधित व्यापार प्रभाग की जिम्मेदारी होगी ।

- नए खंड 5.13 5.14 और 5.15 को निम्नलिखित रूप में शामिल किया जाएगा:-

5.13 किसी भी एसोसिएट्स द्वारा चेक के मामले में पार्टी के लिए एक समयबद्ध कार्यसूची को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई प्रारंभ की जाए ताकि संबंधित भुगतान समय पर हो सकें । यदि चूक जारी रहती है तो वसूली के लिए निदेशक(विपणन) के आदेश से कार्रवाई की जाएगी जिसमें गारंटी रद्द करना, एन आई अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्रक्रिया, एसटीसी के पास गिरवी रखे हुए स्टॉक की बिक्री आदि शामिल हैं । इसके अलावा वाइंडिंग अप प्रस्ताव चूक वाली कंपनी के सभी निदेशकों के नाम और उनसे पत्र व्यवहार करना एसोसिएट्स बैंकर्स, आरबीआई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, डीजीएफटी आदि शामिल हैं ।

5.14 उन सभी मामलों में जहाँ ईपीसी लिया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि - (1) विदेशी एलसी एसटीसी के साथ लाभप्राप्तकर्ता के रूप में स्थापित किया जाए और एसटीसी के बैंकर्स के माध्यम से किया जाए । (2) पोतनौभार एसटीसी को नियातक के रूप में दर्शाते हुए किया जाए और शिपिंग प्रलेख एसटीसी के बैंक के पटल पर तैयार किए जाएं । (3) र्नियात प्रोसिड्स एसटीसी के खाते में क्रेडिट किए जाएं ।

5.15 कार्पोरेशन द्वारा प्राप्त सभी बैंक गारंटियॉ संबंधित इश्यू करने वाले बैंक द्वारा पुष्टिकृत करवाई जाऍं –

- वर्तमान खंड 6.2 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है –

6.2 सभी बकाया राशियों के मामले में पार्टियों से ब्याज की वसूली (वास्तव में वसूल किए गए और न केवल पार्टी के लेखे में डेबिट किए गए) मासीक आधार पर की जानी चाहिए ।

- एक नया खंड 9.1 निम्नलिखित रूप में शामिल किया जाएगा और तदनुसार वर्तमान खंड 9.1 से 9.5 को 9.2 से 9.6 के रूप में नयी संख्या दी जाएगी –

9.1 90 दिनों से ऊपर के एलसी के रोलओवर के लिए अनुरोध केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

- वर्तमान खंड 10.3 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है ।

10.3 एसटीसी के पास गिरवी रखे सभी स्टाकों का प्रत्यक्ष सत्यापन एसटीसी के प्रबंधकों द्वारा सर्वेक्षकों के साथ प्रत्येक 45 दिन में किया जाना चाहिए । रिपोर्ट एसटीसी के प्रबंधकों द्वारा सत्यापित हो जो प्रत्यक्ष सत्यापन कर रहे हैं तथा इसे संबंधित शाखा प्रबंधक / प्रभागाध्यक्ष द्वारा सही प्रकार से पुष्टिकर्त कराकर संबंधित निदेशक (विपणन) के पास प्रस्तुत करनी चाहिए ।

- नए खंड 11.12 और 11.13 निम्नलिखित रूप में शामिल किए जाते हैं –

11.12 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी पार्टी का कुल बकाया अध्यतन ब्याज, सभी लागतों, व्यापार मार्जिन आदि सहित किसी भी व्यवस्था में एक्सपोजर सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।

11.13 संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक – vi) के अनुसार एक संशोधित चेक लिस्ट अनिवार्य रूप से सभी व्यापारिक प्रस्तावों के साथ संलग्न की जानी चाहिए ।

- सीओएम को व्यापारिक प्रस्तावों से संबंधित अनुलग्नक – v के साथ संलग्न प्रपत्र स्थान पर संलग्न संशोधित प्रपत्र प्रभावी होगा ।

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि सख्ती से अनुपालन के लिए उपर्युक्त संशोधनों को ध्यान में रखें ।

(ब्रजेश प्रसाद)
उप महा प्रबंधक

सभी शाखा प्रबंधक/महा प्रबंधक/व्यापार और वित्तीय प्रभागाध्यक्ष
सभी मुख्य महा प्रबंधक/निदेशक

प्रति - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक – v का संशोधित प्रपत्र

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड: नई दिल्ली

प्रबंधन समिति के विचारार्थ नोट

मद संख्या -

दिनांक: ----------

विषय - ----------

---

1. **पृष्ठभूमि सूचना**

(इसमें मदों, बाजार परिदृश्य जैसे उत्पादन, मांग, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमत प्रवृत्तियों का विश्लेषण, अंतिम प्रयोग, डीएंडबी रेटिंग, पूर्व के सौदों का विश्लेषण दर्शाते हुए एसोसिएट के विवरण पर नोट आदि शामिल होंगे ।

2. **प्रस्ताव**

(इसमें कार्यप्रणाली, एक्सपोजर की सीमा, ऋण अवधि, ब्याज की दर, मार्जिन राशि की मात्रा और प्रकार, संचित प्रतिभूतियॉं आदि का विवरण होगा । एसोसिएट और शाखा/कार्पोरेट कार्यालय की ऑफर, उस पर सिफारिश (एसोसिएट द्वारा सही प्रकार से पुष्टिकृत) को सभी मानदण्डों, प्रस्तावों का निहित मार्गनिर्देशों की तुलना में विचलन अलग से दर्शाया जाना चाहिए)

3. **प्रस्ताव हेतु औचित्य**
4. **अनुमोदन के लिए अपेक्षित मुद्दे**
5. **संविदा प्रबंधक**

संविदा के कार्यान्वयन हेतु व्यापार प्रभाग से श्री ---------- ---- और वित्त प्रभाग से श्री ---------- जिम्मेदार होंगे ।

(एसोसिएट वित्त के प्रमुख) व्यापार प्रभाग में मु.म.प्रबंधक/म.प्रबं./सं.म.प्र/

उ.म.प्रबं. के रैंक के वरिष्ठतम अधिकारी

सीओएम को प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित

निदेशक विपणन

अनुलग्नक – v i

व्यापार प्रस्ताव हेतु चेक लिस्ट

प्रभाग ---------- शाखा ----------

एसोसिएट का नाम: ---------- वर्तमान/नया

1. व्यवसाय की प्रकृति: निर्यात/आयात/स्वदेशी
2. एक्सपोजर सीमा: (1) अनुमोदित – (2) उपलब्ध – (3) प्रस्तावित –
3. मद ----------
4. मात्रा ----------

5. क्या मद स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य है	हाँ	नहीं
6. आपूर्ति इनके लिए अपेक्षित है:	स्वउपभोग	व्यापार
7. क्या डीएंडडी रिपोर्ट स्वीकार्य योग्य है	हाँ	नहीं
8. क्या बैंकर्स की रिपोर्ट संतोषजनक है	हाँ	नहीं
9. क्या एसटीसी कमेटी की रिपोर्ट संतोषजनक है	हाँ	नहीं
10. क्या सम्पूर्ण लिफ्टिंग प्रत्येक 30 दिन की अवधि हेतु लिफ्टिंग कार्यक्रम के साथ 90 दिनों के अंदर की गयी	हाँ	नहीं
11. क्या पार्टी का विगत कार्यनिष्पादन रिकार्ड संतोषजनक है	हाँ	नहीं
12. क्या पार्टी मार्केट के मार्क के अनुसार अतिरिक्त ईएमडी जमा करने से सहमत हैं	हाँ	नहीं
13. माल इनमें भंडारित किया जाएगा -	सीडब्ल्यूसी माल गोदाम/ एसडब्ल्यूसी माल गोदाम	

15. ईएमडी कैश निधियों /बीजी के रूप में प्रतिशत ----------

16. व्यापार मार्जिन ---------- प्रतिशत

( ) ( ) ( )

शा खा टी म

( ) ( )

कार्पोरेट कार्यालय टीम